

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

02 अगस्त 2017

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संख्या 33 मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड की चरण-III विस्तार परियोजना की योजना एवं कार्यान्वयन आज संसद में प्रस्तुत

प्रस्तावना

2017 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 33, जिसे आज संसद में प्रस्तुत किया गया है, मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड की चरण III विस्तारण परियोजना की योजना एवं और क्रियान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा पर है।

वर्ष 2006 में, मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने, ₹ 7,943 करोड़ की अनुमानित लागत पर रिफाइनरी उन्नयन परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया। परियोजना का उद्देश्य रिफाइनरी क्षमता को 11.82 एमएमटीपीए से 15 एमएमटीपीए तक बढ़ाना था और मूल्य वर्धित उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाना था। क्षमता में परिवर्तन, विभिन्न इकाईयों को जोड़ने तथा हटाने के कारण समय-समय पर अनुमानित लागत में परिवर्तन हुआ। अक्टूबर 2015 तक, परियोजना की कुल समायोजित अनुमानित लागत ₹ 16,323 करोड़ परिकलित की गई थी। इसके प्रति, कम्पनी ने मार्च 2016 तक ₹ 14,832 करोड़ का व्यय किया। परियोजना, जिसे प्रारंभिक रूप से जून 2010 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित था, वास्तव में जून 2015 में पूर्ण की गई थी।

परियोजना के अंतर्गत इकाईयों की योजना, निष्पादन और कमिश्निंग और 2011-16 की अवधि के दौरान रिफाइनरी के प्रचालन पर इसके प्रभाव की निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान समीक्षा की गई थी।

यह निष्पादन लेखापरीक्षा, परियोजना के निष्पादन में मितव्ययिता, दक्षता एवं प्रभावकारिता की जांच करने तथा रिफाइनेरी प्रचालन की समीक्षा करने के उद्देश्य से की गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसका निष्पादन मितव्ययी एवं दक्ष तरीके से किया गया था।

लेखापरीक्षा में 2011-12 से 2015-16 की अवधि के लिये चरण III विस्तार, सिंगल प्वाइंट मूरिंग स्थापित करने, प्रसंस्करण इकाइयों, सहायक इकाइयों और उपयोगिताओं के समकालन और प्रचालन निष्पादन सहित पूंजीगत परियोजनाओं की योजना और निष्पादन को कवर किया गया है। पर्यावरण से संबंधित प्रासंगिक सांविधिक विनियमों के अनुपालन को भी शामिल किया गया था। निम्नलिखित पैराग्राफों में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को संक्षिप्त में दिया गया है:

- **पूंजीगत परियोजनाओं की योजना और निष्पादन**

पूंजीगत परियोजनाओं की योजना में कमियां

कम्पनी ने बार-बार पूंजीगत परियोजना योजना संशोधित की, जिसके परिणामस्वरूप दो वर्ष से अधिक का अधिक समय लगा और योजना चरण के दौरान ₹ 2,509 करोड़ तक अनुमानित लागत में वृद्धि हुई। (पैरा 2.1.1)

पॉली प्रॉपलीन इकाई की स्थापना में विलम्ब

2006-2008 में एकल पॉली प्रॉपलीन इकाई की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करते समय कम्पनी को पेट्रोकेमिकल फ्लूडाइज़्ड कैटलिटिक क्रैकिंग इकाई में वैक्यूम गैस ऑयल के प्रसंस्करण द्वारा प्रॉपलीन के उत्पादन के बारे में पता था। तथापि इकाई को मई 2009 में योजना में शामिल किया गया जिसके कारण भूमि अधिग्रहण और अनापत्ति प्राप्त करने आदि की प्रक्रिया में विलम्ब हुआ।

पॉली प्रॉपलीन इकाई स्थापित करने के निर्णय लेने में देरी से मूल्य वर्धित उत्पाद, प्रॉपलीन के उत्पादन में विलम्ब हुआ। (पैरा 2.1.2)

जोखिम को कम किए बिना बाहर से वाणिज्यिक ऋण (ईसीबी) लेना

कम्पनी ने संबंधित विनिमय जोखिम की प्रतिरक्षा किए बिना ₹ 3,727 करोड़ के बराबर 650 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ईसीबी ऋण लिया (मार्च 2012 और मार्च 2013) जबकि घरेलू ऋण की तुलना में प्रतिरक्षा के साथ ऋण लेना सस्ता था। ईसीबी ऋण की प्रतिरक्षा न किए जाने के

कारण कम्पनी को पहले ही लगभग ₹ 13.70 करोड़ की हानि हो चुकी है (सितम्बर 2016 तक) और अमेरिकी डॉलर के प्रति रूपया कमजोर होने पर अभी और भी हानि हो सकती है। (पैरा 2.2.1)

आवश्यकता से अधिक निधियों का आहरण

कम्पनी ने अपनी आवश्यकताओं से अधिक निधियों का आहरण किया जिसके कारण ₹ 768.46 करोड़ की राशि, ब्याज रहित चालू खाते में निष्क्रिय पड़ी हुई थी। (पैरा 2.2.2)

कैप्टिव पॉवर प्लांट चालू करने में देरी

कैप्टिव पॉवर प्लांट (सीपीपी), जो वाष्प एवं विद्युत की रिफाइनरी को आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण इकाई है, को अन्य सभी प्रक्रिया इकाइयों को चालू करने से पूर्व चालू किए जाने की आवश्यकता थी। सीपीपी-III को निर्धारित तिथि, जनवरी 2012 के प्रति अगस्त/सितम्बर 2014 में चालू किया गया था, जिसके कारण अभियांत्रिकी कार्य पूरा होने के बाद भी कई प्रक्रिया इकाइयां 11 से 26 महीनों तक निष्क्रिय पड़ी रही। (पैरा 2.4.1)

इंडियन स्टेटजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस् लिमिटेड के साथ व्यवस्था को अन्तिम रूप न देना

कम्पनी ने सिंगल प्वाइंट मूरिंग (एसपीएम) परियोजना और कैवर्न सुविधा के साझाकरण के लिए इंडियन स्टेटजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस् लिमिटेड के साथ एक समझौता करार किया लेकिन संबंधित बुनियादी साझाकरण करार लंबित था। सिंगल प्वाइंट मूरिंग परियोजना अगस्त 2013 में चालू हो गई थी लेकिन वांछित लाभ नहीं प्राप्त किया जा सका, क्योंकि कैवर्न सुविधा तैयार नहीं थी (नवम्बर 2016)। (पैरा 2.5.2)

बूस्टर पम्पिंग स्टेशन और पाइपलाइन की निष्क्रियता

कम्पनी ने ₹ 188.69 करोड़ की लागत पर बूस्टर पम्पिंग स्टेशन और केवर्न से रिफायनरी तक ₹ 14.73 करोड़ की लागत पर पाइपलाइन संस्थापित (दिसम्बर 2013) किए जो कि केवर्न को शुरू करने में विलम्ब के कारण सितम्बर 2016 तक निष्क्रिय रहे। (पैरा 2.5.3)

सिंगल पॉइंट मूरिंग परियाजना का निष्पादन

कम्पनी ने विशाल जहाजों (वीएलसीसी) में कच्चे तेल की बढ़ी हुई मात्रा को संभालने के लिए ₹ 1043.57 करोड़ की अनुमानित लागत पर सिंगल पॉइंट मूरिंग (एसपीएम) सुविधा के संस्थापन की योजना (2010) बनाई। जब एसपीएम सुविधा के संस्थापन का निर्णय लिया गया तब, जैसा कि परिकल्पित था माल भाड़े में बचत, विलम्ब शुल्क से बचने और सकल रिफायनरी मार्जिन में संशोधन वास्तव में प्राप्त नहीं किए गए थे। (पैरा 2.5.5)

• प्रसंस्करण इकाइयों का प्रचालन

कच्चे तेल की योजना एवं अधिप्राप्ति

यद्यपि क्रूड डिस्टलेशन इकाई II जोकि हार्ड टैन क्रूड को संसाधित करने के लिए प्रारूपित की गई थी, मार्च 2012 संस्थापित की गई, इस इकाई की फीड को प्रोसेस करने के लिए प्रारूपित की गई द्वितीयक प्रसंस्करण इकाइयाँ केवल नवम्बर 2012 से सितम्बर 2014 तक ही संस्थापित की गई जिसके कारण कम्पनी ने 2011-12 से 2014-15 के दौरान कम मूल्य उत्पादों जैसे कि वैक्यूम गैस ऑयल, नाप्था, एविएशन टरबाईन फ्यूल और फ्यूल ऑइल का उत्पादन किया।

इस उत्पादों की अधिक मात्रा घरेलू दर की तुलना में कम दर पर निर्यात की गई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2,774.52 करोड़ के राजस्व की हानि और ₹ 1,666.86 करोड़ की उत्पादन लागत की वसूली नहीं हुई। (पैरा 3.1 और 3.2)

पेट्रोकेमिकल फ्लूडाइज़्ड कैटालिटिक क्रैकिंग इकाई (पीएफसीसीयू) के साथ हाइड्रोक्रैकर इकाइयों (एचसीयू) का गैर-तुल्यकालन

एचसीयू-1 तथा एचसीयू-2 की कार्य प्रणाली को रीसायकल से वन्सथू मोड में परिवर्तित करने के लिए (सितम्बर 2011 और मई 2012) सुधार किया गया। तथापि, सुधार के उद्देश्य को असफल करते हुए 2011-12 से 2014-15 की अवधि के दौरान रीसायकल मोड के तहत एचसीयू को परिचालित करना पड़ा।

रीसायकल कार्य प्रणाली के तहत भी अभिकल्प प्राप्ति के प्रति कम वसूली हुई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6,328.76 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। (पैरा 3.3)

पीएफसीसीयू का संस्थापन और प्रचालन

पीएफसीसीयू जिसे अगस्त 2014 में प्रोपीलिन के उत्पादन के लिए संस्थापित किया गया था, सुधार कार्य हेतु सितम्बर 2014 में 20 दिनों के लिए बंद करना पड़ा था, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन में हानि तथा ₹ 198.53 करोड़ की परिणामी राजस्व हानि हुई।

पीएफसीसीयू ने (अगस्त 2014 से मई 2015) 6,96,922 मी.टन फीड संसाधित किया तथा 1,43,566 मी.टन के उत्पादन डिजाइन के प्रति 3,951 मी.टन प्रोपीलिन का उत्पादन किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 382.83 करोड़ के मार्जिन की हानि हुई।

जून 2015 में पॉली प्रोपिलीन इकाई के संस्थापन के पश्चात, पीएफसीसीयू द्वारा उत्पादित प्रोपिलीन उत्पादन डिजाइन की तुलना में 1,36,791 मी.टन (जून 2015 से मार्च 2016) कम था, जिसके परिणामस्वरूप पॉली प्रोपिलीन का कम उत्पादन हुआ और परिणामतः ₹ 364.77 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। (पैरा 3.6)

सहायक सुविधाओं का प्रचालन

भाप की अतिरिक्त खपत

वर्ष 2015-16 के दौरान भाप की खपत आदर्श खपत से अधिक थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 231.94 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। (पैरा 4.1)

हाइड्रोजन उत्पादन इकाई (एचजीयू) में नाप्था की अधिक खपत

2011-16 के दौरान, कोई भी एचजीयू 33 प्रतिशत की डिजाइन उपज प्राप्त नहीं कर पायी तथापि, कम उत्पादन के कारण, हाइड्रोजन की अपेक्षित मात्रा के लिए ₹ 1,025 करोड़ की कीमत के 3,35,990 मी.टन अतिरिक्त नाप्था का प्रसंस्करण करना पड़ा था। (पैरा 4.2)

पर्यावरणीय पहलू

पेट्रोलियम रिफाइनरी, कच्चे तेल को परिवर्तित करने की प्रक्रिया के दौरान, पर्यावरण और परिस्थितिकी-तंत्र को प्रभावित करती है। वायु प्रदूषण, जल-प्रदूषण, ध्वनि-प्रदूषण, भू-प्रदूषण,

अपशिष्ट जल और अन्य हानिकारक पदार्थ सहित कई बड़े पर्यावरणीय मुद्दे पेट्रोलीयम से जुड़े हैं।

यह देखा गया कि फ्लेयर गैस रिकवरी सिस्टम के संस्थाप और हरित क्षेत्र की स्थापना से सम्बंधित एमओईएफ (अप्रैल 2008) के पर्यावरण अनुमति के प्रावधानों का अनुपालन कंपनी द्वारा अभी किया जाना शेष था। धूल प्रदूषण से बचने हेतु कोक यार्ड और सल्फर यार्ड को ढकने के लिए कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों का अनुपालन किया जाना भी शेष था।

(पैरा 5.1, 5.2 और 5.3)

सिफारिशें

प्रतिवेदन में की गई सिफारिशें निम्न प्रकार से हैं।

- भविष्य में, समय और लागत को बढ़ने से बचाने के उद्देश्य से लिए कंपनी परियोजनाओं को अन्तिम रूप देने से पहले एक विस्तृत योजना तैयार करे। निधियों की अधिक निकासी से बचने के लिए, परियोजनाओं के लिए निधियों की आवश्यकता यथार्थवादी आधार पर करे।
- कंपनी, पाँवर प्लांट जैसी उपयोगिताओं के सामयिक समापन को सुनिश्चित करे जिसका अन्य इकाइयों को चालु करना पर प्रतापी प्रभाव है।
- कंपनी एसपीएम का इष्टतम उपयोग करने हेतु तत्काल प्रयास करे।
- कंपनी सभी प्रसंस्करण इकाइयों की क्षमता की इष्टतम उपयोगिता सुनिश्चित करे।
- कंपनी विभिन्न प्रसंस्करण इकाइयों के द्वारा उपयोगिताओं के उपभोग के मूल्यांकन के लिए एक प्रणाली विकसित करे ताकि इन उपयोगिताओं का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।